सं. एवी-18050/1/2017-एआई

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली - 110 003, दिनांक 05.06.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जहां एअर इंडिया अपनी उड़ाने प्रचालित नहीं करता है उन क्षेत्रों में निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा करने के लिए अनुमति

अधोहस्ताक्षरी को चार क्षेत्रों, अर्थात जयपुर-जोधपुर-जयपुर, जयपुर-उदयपुर-जयपुर, जयपुर-बीकानेर-जयपुर, मंगलौर-बंगलूरु-मंगलौर, जिनका उल्लेख उन क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था जिन पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा सामान्य / व्यापक छूट प्रदान की गई थी, में एअर इंडिया के अलावा अन्य निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा की सामान्य / व्यापक छूट प्रदान करने के संबंध में व्यय विभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या 19024/1/2016-ई.IV, दिनांक 23.05.2017 का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए सामान्य / व्यापक छूट के अनुरोध पर इस मंत्रालय में विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि जिस क्षेत्र में, एअर इंडिया प्रचालन नहीं करती है, वहां अधिकारियों को एअर इंडिया के अलावा अन्य निजी एयरलाइनों द्वारा यात्रा करने की अनुमति है तथा इस प्रयोजन के लिए रियायत / छूट के लिए किसी प्रकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

3. इसे सचिव (नागर विमानन) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

चंद्र किशोर शुक्ला

(चंद्र किशोर शुक्ला)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 24619282

सुश्री एनी जी. मैथ्यु,

संयुक्त सचिव (कार्मिक),

व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय,

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

सेवा में

भारत सरकार के सभी सचिव

भारत सरकार के सभी वित्त सलाहकार